न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 37 / 2024

श्री लियाकत अली निवासी नवज्योति कार्यालय के पास जिला टोंक राज.

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.10.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

खसरा संख्या 6259 (वर्तमान) जिला टोंक कस्बा शर्की की किस्म गैर मुमकिन खालियान से गैर मुमकिन पैरा/पेरावाल जिस राजकीय आदेश जो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(मय आदेश) उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाये।

अन्य कोई आदेश तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाये मय आदेश क्रमांक के।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 05.08.2024, पत्र क्रमांक 1147 दिनांक 14.08.2024, 1219 दिनांक 29.08.2024, 1329 दिनांक 10.09.2024 व 1415 दिनांक 26.09.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र क्रमांक 10981 दिनांक 26.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 10921 दिनांक 25.09.2024 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)